UPBJ010095332017

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (ई.सी. एक्ट), बिजनौर।
पीठासीन अधिकारी–(लोकेश नागर), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP1764
विशेष सत्र वाद संख्या–570/2017

उत्तर प्रदेश राज्य ..... अभियोजन पक्ष।

बनाम

रामलखन सिंह पुत्र प्रकाश सिंह, निवासी फतेहउल्लहापुर उर्फ रानीपुर, थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर। ..... अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या–962/2016
धारा–135 विद्युत अधिनियम, 2003
थाना–नजीबाबाद, जनपद बिजनौर।

निर्णय

1– अभियुक्त **रामलखन सिंह** के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या–962/2016 धारा–135 विद्युत अधिनियम, 2003, थाना– नजीबाबाद, जनपद बिजनौर के अन्तर्गत आरोप प्रत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त रामलखन सिंह का विचारण धारा–135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि दिनांक 07–10–2016 को समय अदम तहरीर, बहद स्थान ग्राम फतेहउल्लापुर उर्फ रानीपुर, थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर के क्षेत्रान्तर्गत विद्युत चेकिंग टीम द्वारा अभियुक्त के परिसर को चैक करने पर अभियुक्त अवैध रूप से एल0टी0 लाईन से केबिल जोड़कर विद्युत का चोरी से उपभोग करते हुये पाया गया। तहरीर के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किया गया जिसकी रोजनामचा में प्रविष्टि अंकित की गयी। विवेचक द्वारा विवेचना उपरान्त अभियुक्त रामलखन सिंह के विरुद्ध धारा–135 विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रदर्श क–6 प्रस्तुत किया गया।

3– अभियुक्त के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लिया गया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा–135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की मांग की।

4– उक्त आरोप के समर्थन में अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी0डब्लू0–1 नरेश कुमार को परीक्षित कराया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से आदेश पत्रक पर टिप्पणी अंकित की गयी कि कोई अन्य साक्ष्य नहीं देना है। अभियोजन साक्ष्य समाप्त किया जाता है।

5– अभियुक्त की ओर से जुर्म स्वीकार हेतु प्रार्थना पत्र दिनांकित 05.06.26 प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त का धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता का बयान लेखबद्ध किया गया। अभियुक्त ने कोई सफाई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं

किया है बल्कि बहस के स्तर पर प्रार्थनापत्र जुर्म इकबाल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

6– सुना तथा पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

7– अभियोजन पक्ष द्वारा अभियोजन प्रपत्र चैकिंग रिपोर्ट, तहरीर, प्रथम सूचना रिपोर्ट, रोजनामचा आम, नक्शा नजरी एवं आरोप पत्र को साबित करते हुये कहा कि अभियोजन प्रपत्रों तथा साक्षी के साक्ष्य से अभियुक्त के विरुद्ध धारा–135 विद्युत अधिनियम का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाये।

8– अभियुक्त की ओर से इस आशय का प्रार्थना पत्र दिनांकित 05.06.26 दिया गया कि प्रार्थी उपरोक्त वाद को लड़ना नहीं चाहता है। प्रार्थी अपने जुर्म से इकबाल करता है और वाद समाप्त कराना चाहता है। धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत अभियुक्त ने आरोप के कथनों को स्वीकार किया है और कहा है कि उसने अपराध कारित किया है, वह स्वेच्छा से अपना जुर्म स्वीकार करता है। जुर्म स्वीकार का अर्थ वह समझता है। जुर्म स्वीकार करने से सजा भी हो सकती है। साक्षी के साक्ष्य तथा अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा–135 विद्युत अधिनियम का आरोप साबित होता है।

9– उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष, अभियुक्त के विरुद्ध धारा–135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित आरोप को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्त रामलखन सिंह धारा–135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोपित आरोप में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **रामलखन सिंह** को **धारा–135 विद्युत अधिनियम,** 2003 के अन्तर्गत आरोपित आरोप में **दोषसिद्ध** किया जाता है।

अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए।

दण्ड के प्रश्न पर सुनवाई हेतु पत्रावली लंच बाद पेश हो।

दिनांकः–21–08–2026

(लोकेश नागर)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(ई0सी0 एक्ट), बिजनौर।

दिनांकः–21–08–2026

1– पत्रावली लंच बाद पेश हुई। पुकार करायी गयी। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

2– सजा के बिन्दु पर अभियुक्त एवं विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अभियुक्त एक साधारण व्यक्ति है, अन्य कोई व्यक्ति उसके अलावा घर पर काम करने वाला नहीं है। उसके परिवार के लोग उस पर आश्रित हैं, यह अभियुक्त का पहला अपराध है। अभियुक्त को कम से कम सजा से दण्डित किया जाये। इसके विपरीत विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि अभियुक्त ने अपराध कारित किया है।

3– दण्ड के बिन्दु पर विद्वान अभियोजक एवं अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

4– जहां तक दण्ड का प्रश्न है अभियुक्त द्वारा विद्युत बकाया जमा होना बताया गया है। विद्युत विभाग के द्वारा प्रस्तुत की गयी चैकिंग रिपोर्ट में इस सम्बन्ध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है जिसके आधार पर यह निर्धारण किया जा सके कि विद्युत की चोरी के द्वारा अभियुक्त ने कितना वित्तीय लाभ प्राप्त किया है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त की आयु, वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्त को धारा–135 विद्युत अधिनियम के आरोपित आरोप में 1,000/–रुपये (एक हजार रुपये) अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

दण्डादेश

अभियुक्त **रामलखन** को विशेष सत्र परीक्षण संख्या–570/2017, मुकदमा अपराध संख्या–962/2016, **धारा–135 विद्युत अधिनियम,** थाना नजीबाबाद, जनपद बिजनौर के आरोप में **1,000/– रुपये (एक हजार रुपये) अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की स्थिति में एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भोगनी होगी।

प्रश्नगत मामले में यदि कोई माल मुकदमाती है तो माल मुकदमाती मियाद अपील राज्य सरकार के पक्ष में जब्त किया जाए, जिसे राज्य सरकार विधिनुसार निस्तारित करे।

प्रश्नगत मामले में संबंधित विभाग का यदि कोई शेष विद्युत देय/बकाया है तो संबंधित विभाग नियमानुसार देय/बकाया धनराशि वसूल करने के लिए स्वतंत्र है। इस निर्णय का उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

दिनांकः–21–08–2026

(लोकेश नागर)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(ई0सी0 एक्ट), बिजनौर।

उक्त दण्डादेश आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांकः–21–08–2026

(लोकेश नागर)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश,
(ई0सी0 एक्ट), बिजनौर।

Digitally signed by Lokesh Nagar
Date: 2026.08.21 15:37:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court